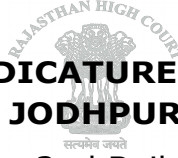




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 4780/2026

Chandra Singh Rawat Alias Sonu S/o Kuldeep Singh, Aged About 45 Years, Resident Of House No. 453 Kishangarh, Chandigarh, Punjab (Lodged In Sub Jail, Srikanpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 4781/2026

Surendra Singh Alias Chinda S/o Sh. Balveer Singh, Aged About 40 Years, Resident Of Nihal Vihar Chandra, Vihar D 60 Street Number 14, New Delhi (Lodged In Sub Jail, Srikanpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Khushi Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Bhati, PP

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
(Through V.C.)**

Judgment / Order

20/04/2026

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक-पृथक द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-**केसरी सिंहपुर, गंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**247/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2, 126(2), 127(2), 331(6), 310(2), 324(4), 324(5), 190, 191(2), 191(3) भारतीय न्याय संहिता तथा 27 आयुध अधिनियम में पेश किये गये हैं।



चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होकर एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत हुए हैं, अतः उक्त दोनों द्वितीय जमानत आवेदनों का निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। प्रथम जमानत आवेदन आरोप प्रस्तुति के बाद नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिये गये थे, अब प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है। समान रूप से अवस्थित सह-अभियुक्त का जमानत आवेदन इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, अभियुक्तगण करीब छः माह से अधिक समय से अभिरक्षा में हैं, अभियुक्त चन्द्रसिंह के विरुद्ध मात्र एक प्रकरण पूर्व में दर्ज हुआ है, जबकि शेष अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के घर में गृहभेदन कर परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की तथा आईफोन लूट कर डकैती कारित की।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त 1. चन्द्रसिंह रावत उर्फ सोनू पुत्र कुलदीप सिंह तथा 2. सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिंदा पुत्र बलवीर सिंह की ओर से प्रस्तुत दोनों द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि



प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का बन्ध—पत्र तथा पचास—पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal/6-7(Jdpr)